HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous III Bail Application No. 17302/2026
CNR: RJHC021054312026 | URN: CRLMB / 31834U / 2026

Indrajeet Kumar Nishad S/o Shri Lalaji Nishad, Aged About 28 Years, R/o Shahpur Kala, Isuata Maja, Prayagraj, Uttar Pradesh (At Present Lodged In Central Jail, Jaipur)

----Petitioner

Versus

Union Of India, Through Special Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Nisha
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Poonia, SPP Mr. Rakesh Kumar Deriwal, Suprintendent Customs Dept.

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

18/11/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पत्रावली संख्या ARPT/AIU/NDPS/85/2025-JIA-Cum-Prev-Jodhpur अपराध अन्तर्गत धारा 8(c), 20(b) (ii) (B), 23, 29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह तृतीय प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी का द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2026 को निरस्त किया गया था, उसके उपरांत प्रकरण में प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि बढ़कर लगभग 13 माह हो चुकी है। उनका तर्क है कि द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र के निरस्त होने के बाद प्रकरण में दिनांक 05.11.2026 को अभियोजन की ओर से साक्षी पी.ड. 01 की प्रतिपरीक्षा पूर्ण हुई है। इस साक्षी ने तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही के संबंध में जो कथन किए हैं, वह जब्ती की

कार्यवाही में अंकित समय से सर्वथा विरोधाभासी है। उनका तर्क है कि प्रकरण में विचारण धीमी गति से चल रहा है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किया है–

1. Rajadurai Vs. The State of Tamil Nanu
Petition for Special Leave to Appeal (Crl.) No. 4729/2026

प्रार्थी दिनांक 17.10.2025 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी के द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.07.2026 को निरस्त होने के उपरांत अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित हुए गवाह पी.ड. 01 के कथन पूर्ण हुए हैं तथा प्रकरण में अभी और गवाहों का परीक्षित होना शेष है। उनका तर्क है कि प्रकरण में मादक पदार्थ की बरामदगी प्रार्थी से ही हुई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र के निरस्त होने के बाद प्रकरण की परिस्थितियों में ऐसा कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे प्रार्थी जमानत पाने का अधिकारी हो जाए। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त पर धारा 8(c), 20(b) (ii) (B), 23, 29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अभियोग है। उसके आधिपत्य से मादक पदार्थ Hydroponic Weed (गांजा) की बरामदगी होना बताया गया है। प्रार्थी का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2026 को निरस्त होने के बाद एक अभियोजन साक्षी पी.ड. 01 के रूप में परीक्षित हुआ है। प्रकरण में अभी विचारण चल रहा है। ऐसी स्थिति में, पूर्व में दिनांक 15.07.2026 को प्रार्थी–अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने के बाद प्रकरण की परिस्थितियों में ऐसा कोई सारवान परिवर्तन नही हुआ है, जिससे प्रार्थी–अभियुक्त जमानत का अधिकारी हो जाये। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/64/NIMIT GOYAL